

प्ररूप-37

[नियम 25 (2)]

उत्तरवर्ती देखभाल के लिए सपुर्दगी आदेश

.....(बालक का नाम) सुपुत्र / सुपुत्री श्री

दिनांक कोवर्ष की आयु पूरी कर लेगा। पुनर्वास और पुनर्संमेलन तथा विशेष रूप से..... (उद्देश्य / प्रयोजन) हेतु उत्तरवर्ती देखभाल के लिए उसे ...(संगठन का नाम) के सपुर्द किया जाता है। संगठन के प्रभारी को निर्देश दिए जाते हैं कि वह बालक / बालिका को देखभाल करे तथा उसे उसके पुनर्वास व पुनर्संमेलन के लिए गंभीरतापूर्वक सभी अवसर प्रदान करे। बालक / बालिका को ऐसे अवसर केवल 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक या समाज में पुनः संमेलन होने तक जो भी पहले हो, प्रदान किए जाएंगे। संगठन प्रभारी बाल / किशोर / किशोरी की स्थिति की अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट बाल कल्याण समिति को भेजेगा।

राज्य / जिला बाल देखरेख इकाई को निर्देश दिए जाते हैं कि उक्त व्यक्ति की,..... (दिन / माह) तक देखभाल के लिए तथा उपर्युक्त प्रयोजन हेतु आवश्यक अनुवर्ती कार्यों के लिए,उपर्युक्त व्यक्ति के नाम बैंक में खाता खोलेगा।

बाल न्यायालय / मुख्य मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड /

अध्यक्ष / सदस्य, बाल कल्याण समिति

प्रतिलिपि : राज्य / जिला बाल संरक्षण इकाई या राज्य सरकार का संबंधित विभाग।